



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1318) पटना, बुधवार, 6 अगस्त 2025

वित्त विभाग

आदेश

23 मई 2025

सं० 35/रा0वि0आ0-08/2025-5927—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-2858 दिनांक-13.03.2025 द्वारा सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन/मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग के अंतर्गत विचाराधीन था। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधाएँ निम्न प्रकार होगी :-

1. **वेतन**— माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य, जो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हैं, उन्हें मासिक वेतन के रूप में वही राशि प्राप्त होगी, जो उन्हें पेंशन प्रदायी सेवा में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होनेवाले अंतिम मूल वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परंतु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। देय वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता देय होगा।

2. **वाहन सुविधा**— आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वित्त विभाग द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता**— सरकारी कर्तव्य के लिए वायुयान एवं रेल से यात्रा किए जाने पर माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को उनके पूर्व के सेवास्तर के आधार पर यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

4. **दूरभाष**— आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यालय में दूरभाष ब्रॉड बैंड सहित अधिष्ठापित किया जायेगा। उनके आवासीय दूरभाष एवं मोबाईल (इन्टरनेट सुविधा सहित) रिचार्ज के लिए दूरभाष मद में अधिकतम रू0 3000/- (तीन हजार) प्रतिमाह देय होगा।

5. आतिथ्य भत्ता — माननीय अध्यक्ष को 30,000/— रू० प्रतिमाह तथा सदस्यों को 29,500/— रू० प्रतिमाह आतिथ्य भत्ता देय होगा।

उपर्युक्त सुविधाएँ योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1318-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>